न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–197/2024

करीमन पासवान उर्फ करीमन मांझी.....वादी

बनाम

योगेन्द्र पासवान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.11.2025 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 दिनांक 13.08.2025 को उपस्थित हुए है। ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2025 को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण को कागजातों का काफी खोजबीन करना पड़ा, जिससे ब्यान तहरीरी दाखिल करने में विलंब हो गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.11.2025 को अपना ब्यान तहरीरी दाखिल कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा जान बुझकर ब्यान तहरीरी दाखिल करने में विलम्ब नहीं किया गया है, बल्कि कागजातों को खोजबीन करने में विलम्ब हो गया है। लेहाजा विलम्ब माफ करते हुए प्रतिवादीगण का ब्यान तहरीरी स्वीकार करना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में आवश्यक कागजात समय से न मिलने के कारण	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–197/2024

करीमन पासवान उर्फ करीमन मांझी.....वादी

बनाम

योगेन्द्र पासवान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.12.2025	ब्यान तहरीरी दाखिल करने में विलम्ब हुआ है। लेहाजा प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को विलम्ब माफ करते हुए ग्रहण किया जाए। चूंकि प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में न्यायालय आदेश दिनांक 16.06.2025 को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 02 एवं 04 ता 06 का आवेदन दिनांक 12.11.2025 को मो0–1000 रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 24.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	